ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट
"માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા"
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-5 अंक : 52
सहयोग शुल्क : रु. 1 / अप्रैल : 2021

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

"नये भारत के निर्माण में हर एक दिव्यांग युवा और बच्चें की भागदारी जरुरी है।"
– प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

"दिव्यांगजनों की सेवा समाजसेवा का एक विशेष और महत्वपुर्ण हिस्सा है।"
– मुख्यमंत्री विजयभाई रुपाणी (गुजरात राज्य)

"बुलंद हौंसले और दृढ ईच्छाशक्ति के आगे दिव्यांगता भी हार जाती है।"
– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

कहते है की अगर इंसान के इरादें मजबुत हो तो दुनिया की कोई भी बाधा या चुनौतीयां उसे मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती । कभी-कभी दिव्यांगजन ऐसा महेसुस करते है की खुद की कुछ कमजोरीयां है, कुछ कमीयां है और यह परिस्थिति के लिए वो कभी खुद को तो कभी भगवान को भी दोष देते है । लेकीन क्या आप जानते हो की ये आपकी कमजोरीयां ही एक दीन आपकी ताकत भी बन सकती है ??

इस धरती पर हर एक दिव्यांग विशेष और महत्वपुर्ण है । हरएक दिव्यांगजन अपनी द्दढ ईच्छाशक्ति के जरीयें वो सबकुछ कर सकते है जो आम इंसान कर सकते है । आप में भी वो काबेलियत है । शारीरिक अक्षमता की वजह से कभी ये मत सोचे की आप दुसरों के मकाबले कम काबेलियत रखते है । अपने आप में हंमेशा द्दढ विश्वास रखे और जिंदगी में चुनौतीयों से लडने के लिए अपना मनोबल मजबुत रखेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी । आप वो सबकुछ पा सकोगे जो कुछ आप पाना चाहते हो ।

सभी पाठको को यह निवेदन है की दिव्यांग सेतु पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु आपके आसपास दिव्यांगजनों के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई दिव्यांग व्यक्ति की जानकारी का ब्यौरा भी आप है हमें भेज सकते है । हम इसे प्रकाशित करेंगे ।

आओ , आप भी दिव्यांगजनों के इस सेवायज्ञ में हमारा साथ दे...

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

अप्रैल : 2021 , पृष्ठ संख्या : 16

वर्ष : 5 अंक : 52

✦ प्रेरणास्त्रोत और संपादक ✦

संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

सीबीएसई के द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को दी जाने वाली छूट

12 अप्रैल 2019 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें आरपीडबल्यूडी एक्ट, 2016 में परिभाषित बेंच मार्क दिव्यांगजन के लिए 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में दी जाने वाली छूट/कंसेशन एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) का उल्लेख किया गया है।

बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले छूटों / कंसेशंस का विवरण निम्नलिखित है -

1. कंपेंसेटरी या अतिरिक्त समय देने का प्रावधान :-

नेत्रहीन, अल्प दृष्टि, बधिर, ऊंचा सुनने वाले, स्पीच एवं लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रुग्णता, बहू स्कलेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, हीमोफीलिया, थैलासीमिया, सिकल सेल डिजीज, एवं बहु - दिव्यांगता वाले छात्रों के साथ-साथ, हाथ का सामान्य रुप से कार्य नहीं करने के मामले में गति विषयक दिव्यांगता वाले छात्रों जिसमें कुष्ठ रोग मुक्त, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड हमले से पीड़ित छात्र भी शामिल हैं, को 3 घंटे की अवधि वाले पेपर में 60 मिनट, ढाई घंटे की अवधि वाले पेपर में 50 मिनिट, 2 घंटे की अवधि वाले पेपर में 40 मिनट एवं डेढ़ घंटे की अवधि वाले पेपर में 30 मिनिट का अतिरिक्त समय दिए जाने का प्रावधान है।

2. स्क्राइब अथवा राइटर की सुविधा :-

इसके अंतर्गत नेत्रहीन, अल्प दृष्टि, स्पीच एवं लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रुग्णता, मल्टीपल स्कलेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, हिमोफोलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज एवं बहु-दिव्यांगता वाले छात्रों के साथ-साथ हाथ का सामान्य रुप से कार्य नहीं करने के मामलों में गति विषयक दिव्यांगता, जिसमें कुष्ठ रोग मुक्त, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड हमले से पीड़ित छात्र शामिल हैं, को स्क्राइब अथवा राइटर/रीडर की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है।

स्क्राइब अथवा राइटर की नियुक्ति संबंधी दिशा - निर्देश में बताया गया है कि उम्मीदवार अपने विवेकानुसार राइटर/रीडर का चयन स्वयं करेंगे अथवा इसके लिए परीक्षा केंद्र के माध्यम से अनुरोध करेंगे । अपने तरफ से राइटर लाने हेतु अनुमति दिए जाने के मामले में राइटर की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्टेप नीचे होना चाहिए। दिव्यांग छात्रों को अपने राइटर/रीडर का विवरण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से सेंटर सुपरिटेंडेंट को आपातकालीन स्थिति में राइटर बदलने की भी अनुमति होगी । साथ ही, अलग-अलग पेपर खासकर भाषाओं के लिए एक से अधिक राइटर भी लाने की अनुमति होगी। हालांकि, प्रति विषय केवल एक ही राइटर हो सकता है। राइटर की सेवाएं नि:शुल्क होगी। राइटर को सीबीएसई के मानदंड के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा।

3. रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट :-

केवल नेत्रहीन एवं अल्प दृष्टि वाले उम्मीदवारों को बर्ग ९वीं /10वीं और 11वीं 12वीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ किया गया है।

4. उपस्थिति की छूट (अनुरोध किए जाने पर)

वैसे दिव्यांग छात्र जो निर्धारित दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित हो पाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स / अधिकृत मनोवैज्ञानिक के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत उपस्थिति में 50 प्रतिशत तक छूट दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

5. द्वितीय भाषा के अध्ययन में छूट :-

दिव्यांग उम्मीदवारों को दो भाषाओं में से केवल एक अनिवार्य भाषा का अध्ययन का विकल्प दिया गया है। परंतु, वह भाषा बोर्ड द्वारा निर्धारित तीन भाषाओं के समग्र भावनाओं के अनुरुप होनी चाहिए । 10वीं वर्ग में तृतीय भाषा पढ़ने से भी छूट दी गई है।

6. विषयों के चयन में फ्लैक्सिबिलिटी :-

10वीं वर्ग मे दिव्यांग उम्मीदवार एक अनिवार्य भाषा के अलावे नीचे दिए गए दोनों ग्रुपों में से कोई ४ विषयों का चयन कर सकते हैं - ग्रुप 1 - गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दूसरे भाषा, संगीत (कोई एक), पेंटिंग, गृह विज्ञान, एलिमेंट ऑफ बिजनेस, एलिमेंटस् ऑफ बुक कीपिंग एंड अकउंटेंसी, कंप्यूटर एप्लीकेशनस । ग्रुप 2 - कोई एक कौशल विषय (आटोमोटिव को छोड़कर), केवल नियमित उम्मीदवारों के लिए।

यहां यदि ग्रुप 1 से कंप्यूटर एप्लीकेशन का चयन किया गया हो तो ग्रुप 2 से इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी का चयन नहीं किया जा सकेगा । साथ ही, बोर्ड के कोर्स में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के समतुल्य माना जाता है।

7. स्किल आधारित विषयों के चयन का विलक्प :-

प्राइवेट उम्मीदवार के रुप में परीक्षा में भाग ले रहे दिव्यांग छात्रों को भी अध्ययन विषय के रुप में संगीत (कोई एक), पेंटिंग, गृह विज्ञान चयन करने का विकल्प है।

8. वैकल्पिक प्रश्नों /सेपरेट प्रश्न पत्र की सुविधा :-

दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्रों के मामले में, सामाजिक विज्ञान के विषयों जैसे - इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र में दृश्य इनपुट वाले प्रश्नों के बदले में वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न प्रदान किए जाएंगे । साथ ही, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान विषयों के प्रैक्टिकल के बदले में मल्टीपल चॉइस प्रश्नों वाले अलग प्रश्न पत्र दिए जाएंगे एवं इन विषयों के प्रश्न पत्र बिना किसी दृश्य इनपुट के होंगे ।

9. कंप्यूटरों के माध्यम से परीक्षा :-

नेत्रहीन, अल्प दृष्टि, मानसिक रुग्णता, मल्टीपल स्कलेरोसिस, पार्किसन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसमें कुष्ठ रोग मुक्त, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एवं एसिड हमले से पीड़ित शामिल हैं, वाले छात्रों की वास्तविक जरुरतों और कौशलों को देखते हुए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अथवा योग्य मनोवैज्ञानिक कंसलटेंट के विशेष सिफारिश के साथ जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कंप्यूट प्रयोग की अनुमति दी जाएगी । परंन्तु, इसका उपयोग केवल उत्तर की टाइपिंग के लिए, प्रश्न के फोंटसाइज बढ़ाकर देखने के लिए एवं प्रश्न आइटम को पढ़ने के लिए किया जाएगा । संबद्ध उम्मीदवार अपना खुद का फॉर्मेटेड कंप्यूटर / लैपटॉप लाएगा । परंतु, उसमें इंटरनेट सुविधा नहीं होगी ताकि परीक्षा की गरिमा कायम रह सके । कंप्यूटर के उपयोग की जिम्मेदारी पूर्णतः उम्मीदवार पर होगी । किसी असामान्य घटना होने की स्थिति में किसी भी परिणाम के लिए बोर्ड उत्तरदाई नहीं होगा ।

10. परीक्षा कक्ष का ग्राउंड फ्लोर में स्थित होना :-

विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सुगमता पूर्वक पहुंचने संबंधी सुविधा हेतु कुछ चुने हुए स्कूलों को परीक्षा कक्ष ग्राउंड फ्लोर में स्थित होता है ।

11. परीक्षा के दौरान कृत्रिम / सहायक उपकरण ले जाने की अनुमति होगी :-

अपनी आवश्यकता के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति उपकरण परीक्षा कक्ष में ले जा सकते हैं । जैसे अल्प दृष्टि वाले दिव्यांग छात्रों को मैग्नीफाइड ग्लास / पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर ले जाने की अनुमति होगी आदि । परंतु, बोर्ड से संबंधित किसी भी परीक्षा में केलकुलेटर का उपयोग वर्जित है । उपर्युक्त छूट / कंसेशन का लाभ सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले केवल उन्हीं दिव्यांग छात्रों तो मिल सकेगा, जिनका वर्ग 9वीं एवं / या 11वीं में रजिस्ट्रेशन के समय संबंधित दिव्यांगता की श्रेणी को दर्शाया गया हो ।

दिव्यांग अब जियेंगे सुखद और खुशहाल जीवन, यूनिक कार्ड से जोड़ने की चल रही है तैयारी

दिव्यांगा को खुशहाल और सुखद जीवन जीने के लिए सरकार ने इनलोगों को यूनिक आईकार्ड नामक स्मार्ट कार्ड प्रदान करने की योजना बनाई है। इस आधार पर दिव्यांगों का राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस बनेगा। कार्ड प्राप्त करनेवाले दिव्यांगों को देशभर में कहीं भी अब अपना प्रमाणपत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्मार्ट कार्ड के डाटाबेस के माध्यम से उन्हें बिना दिव्यांगता प्रमाण पत्र के पूरे देश में योजनाओं से लाभांवित किया जा सकेगा। इसके लिए सरकारी स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। इस योजना से दिव्यांगता बाहुल्य कोसी क्षेत्र के हजारो लोग लाभांवित होंगे।

४० फीसदी से अधिक दिव्यांगता वालों को मिलेगा लाभ :-

सरकार की इस योजना के तहत 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को स्वालंबलन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इन लोगों के कागजात के सत्यापन उपरांत ऑनलाईन कर कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कार्ड दिव्यांगों का एकल प्रमाणपत्र होगा, जिसके आधार पर देशभर में उन्हें दिव्यांगजनों के लिए लागू योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

चिप के माध्यम से दिव्यांगो की होगी पहचान :-

दिव्यांगजनों को दिए जानेवाले इस बहुदेश्यीय स्मार्ट कार्ड में एक चिप लगा होगा। इसके लिए दिव्यांग कल्याण विभाग में एक साफ्टवेयर सिस्टम लगा रहेगा।

कार्ड की इंट्री होते ही आसानी से दिव्यांग की पहचान की जा सकेगी। इस कार्ड के जरिए संबंधित व्यक्ति के शारीरिक और वित्तीय प्रगति की भी ट्रैकिंग की जा सकेगी। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी अपनी दिव्यांगता प्रमाण पत्र साथ ले जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

अपने अनुसार वाहन बनवा सकते हैं दिव्यांग, जारी होगा ड्राइविंग लाइसेंस

पूरी तरह दिव्यांग अपने अनुसार ढांचा बदलकर वाहन बनवा सकते हैं । परिवहन विभाग एडाप्टेड वेहिकल के नाम पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगा । परिवहन विभाग दिव्यांगजनों के लिए भी लाइसेंस जारी करता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग लाभ नहीं उठा पाते । विभाग में दिव्यांगजनों के लिए अतिरिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।

पंजीकरण शुल्क के अलावा नहीं लगता है कोई टैक्स :-

यह जानकारी संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने दी । वह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र में आयोजित जन जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी । दिव्यांगजनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य प्रावधानों के संबंध में चर्चा करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने बताया कि हियरिंग मशीन का उपयोग करने वाले श्रवणबाधित दिव्यांगो तथा एक नेत्र की रोशनी वाले दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है । अन्य तरह की दिव्यांगता पर चिकित्सक की सलाह पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं । एडाप्ट वेहिकल बनवाने वाले पूर्ण दिव्यांगों को वाहन पंजीकरण के अलावा अन्य टैक्स को छूट मिलती है ।

2 APRIL - WORLD AUTISM AWARENESS DAY

ऑटिज़्म क्या है ?

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार) जिसे ऑटिज़्म भी कहते है, जन्म के समय या उसके शीध्र बाद आरंभ होने वाली यह एक जीवन-भर की विकलांगता है। ऑटिज़्म व्यक्ति के सीखने के ढंग और वह अन्य लोगों और आस-पास के वातावरण से किस तरह क्रियालाप करता है, इस पर प्रभाव डालता है।

इसके लक्षणों में शामिल है :-

- ★ सामाजिकता, भाषा और संवादशीलता की कला के विकास में भिन्नता।
- ★ वहुत कम चीज़ों में रुचि और एक ही प्रकार के व्यवहार को बार-बार करना।
- ★ संवेदनाओं संबंधी असामान्यताएं, जैसे कि ध्वनियों से बच कर रहना या इधर-उधर अत्यधिक चलना-फिरना।
- ★ अन्य बच्चों के मुक़ाबले सीखने और खेल-कूद में भाग लेने में भिन्नता।

जिन लोगों को ऑटिज़्म है, उनके लक्षणों में परस्पर कुछ समानताएं हो सकती है परन्तु वे सभी पूरी तरह एक जैसे नहीं होते, इसी कारण इसे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम (स्वलीनता स्पेक्ट्रम) कहते है।

लोग किसी भी आयु में ऑटिज़्म से प्रभावित हो सकते हैं और उनमें अनेक प्रकार की कुशलताएं, व्यवहार, सामाजिक बोधक्षमताएं और संवाद क्षमताएं देखने में आती हैं।

ऑटिज़्म का पता कैसे लगाया जाता है ?

आम तौर पर एक बाल-रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक या विशेषज्ञ दल व्यक्ति का अवलोकन करता है और उसके माता-पिता से तथा कभी-कभार अध्यापकों से बातचीत करता है। वे लोग बच्चों को कुछ करने के लिए भी कह सकते है ताकि वे देख सकें कि वे सीखते कैसे हैं। पेशेवर व्यक्ति कुछ साधनों और निर्धारणों के द्वारा बच्चे की कुछ मानदंडो के अनुरुप होने की जांच करते है और वे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की पहचान कर सकते हैं।

ऑटिज़्म कितना आम है ?

अनुसंधान के अनुसार 100 में से 1 व्यक्ति में ऑटिज़्म देखने में आता है और यह स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है।

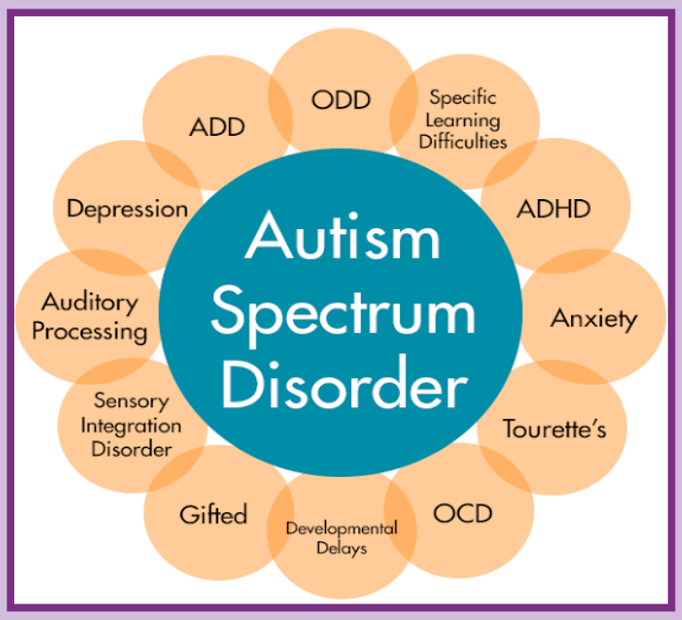

कारण :-

ऑटिज़्म होने का कोई कारण ज्ञात नहीं है । अनुसंधान के अनुसार आनुवंशिक और परिस्थितियों संबंधी धटको का (जन्म से पूर्व और जन्म के बाद, दोनों ही) ऑटिज़्म होने के कारण से संबंध हो सकता है। अनुसंधान से यह भी पता चला है कि हर व्यक्ति में इसका कारण भिन्न हो सकता है।

-: ऑटिज़्म के मुख्य लक्षण :-

संवादशीलता :-

संवादशीलता अपनी आवश्यकताओं और मांगों को बता पाने तथा औरों को समझने की क्षमता है। ऑटिज़्म से ग्रस्त व्यक्ति बोल तो सकते हैं लेकिन :

- ★ उन्हें दूसरों को समझने में कठिनाई होती हैं।
- ★ वे प्रश्नों और टिप्पणियों का शाब्दिक अर्थ ही समझते हैं।
- ★ उन्हें रुपक अलंकार वाले और अनेक अर्थ वाले शब्द आसानी से समझ नहीं आते।
- ★ उन्हें दूसरों से वार्तालाप आरंभ करना या उसे जारी रखना कठिन लगता हैं।
- ★ वे एक वयस्क की भाँति बात करते हैं।
- ★ वे कुछ ही शब्दों और वाक्याशों को बार-बार दोहराते हैं।

संवादशीलता संबंधी कठिनाइयां उनके सामाजीकरण पर प्रभाव डालती हैं।

सामाजीकरण :-

सामाजीकरण का अर्थ है कि व्यक्ति समुदाय के अन्य लोगों से किस तरह के संबंध रखता है। ऑटिज़्म से ग्रस्त व्यक्तियों में सामाजिक नियमों का ज्ञान कम हो सकता है, वे अकेले रहना पसंद करते हैं, वे नहीं जानते कि वे किसी खेल/गतिविधि में कैसे भाग ले सकते हैं और उनका व्यवहार कभी-कभी देखने में अभद्र भी लग सकता है।

व्यवहार :-

ऑटिज़्म से ग्रस्त व्यक्तियों के अक्सर अपने अलग तरीके होते हैं और वे कुछ गतिविधियों को बार-बार दोहराते हैं । ऐसा करने से उन्हें शांति और व्यवस्था का आभास होता है। ऑटिज़्म से ग्रस्त अधिकांश व्यक्ति :

- ★ नियमित दिनचर्या चाहते हैं।
- ★ परिवर्तन को पसंद नहीं करते।
- ★ किसी एक विषय में अत्यधिक रुचि रखते हैं।
- ★ असामान्य शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि हाथों को लगातार हिलाते रहना।

सेंसरी प्रोसेसिंग :-
(इन्द्रियों से प्राप्त जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया)

सेंसरी प्रोसेसिंग का मतलब है कि हमारा मस्तिष्क इन्द्रियों से जानकारी कैसे प्राप्त करता है और फिर क्या प्रतिक्रिया करता है। सेंसरी प्रोसेसिंग में भिन्नता का बच्चे द्वारा घर, विद्यालय और समुदाय में सीखने और ठीक व्यवहार करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ऑटिज़्म से ग्रस्त व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में बहुत तीखी या सामान्य से कम प्रतिक्रिया का प्रदर्शन कर सकते हैं :-

★ शोर
★ स्पर्श
★ देखी गई जानकारी
★ गंध
★ स्वाद
★ उनके आस-पास होने वाली गतिविधि
★ उनके आस-पास के लोग और वस्तुएं

ऑटिज़्म के कारण सीखने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

ऑटिज़्म से ग्रस्त विद्यार्थियों में अनेक क्षमताएं देखी जाती हैं, इसमें शामिल हैं :

★ अच्छी याददाश्त
★ दिनचर्याओं और नियमों का पालन
★ सदा प्रेरित रहना और कुछ विषयों के बारे में अत्यधिक ज्ञान
★ किसी बात को देख कर आसानी से सीख लेना
★ ईमानदारी

ऑटिज़्म से ग्रस्त हर बच्चा भिन्न होता है लेकिन अक्सर निम्नलिखित मामलों में उन्हें परेशानी आती है :-

★ परिवर्तन
★ किसी बात पर ध्यान देना या एकाग्रचित रहना
★ सामाजिक गतिविधियाँ
★ भावनात्मकता
★ मांसपेशियों और गतिविधियां का समन्वय
★ दृष्टि को एक ही जगह पर टिकाए रखना
★ बात का मतलब समझना
★ एक परिस्थिति में सीखी हुई कुशलता का किसी दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल करना
★ सेंसरी प्रोसेसिंग
★ घटनाक्रम को समझना (घटनाओं के क्रम को समझना)
★ योजना बनाना और व्यवस्थापन करना
★ जो काम उन्हें कम पसंद हैं उनको पूरा करने के लिए प्रेरित होना

उनकी सामर्थ्य के क्षेत्रों पर जोर देना उन्हें पढ़ाने की एक अच्छी कार्यनीति है न कि उन्हें कठिन लगने वाले क्षेत्रों में उनकी क्षमता को वढ़ाना।

दिव्यांग लड़की जिया राय ने खुले पानी में 14 किमी तैर कर विश्व रिकार्ड बनाया

दुनिया की सबसे कम उम्र की पहली दिव्यांग (Handicapped) लड़की सुश्री जिया राय (Jiya Rai) ने खुले पानी (Open Water) में 14 किलोमीटर तैर कर तैराकी (Swimming) में विश्व रिकार्ड (World Record) बनाया।

नेवी चिल्ड्रन स्कूल (एनसीएस), मुम्बई की छठी कक्षा की छात्रा सुश्री जिया ने मुम्बई एलिफेंटा द्वीप (Elephanta Island) से गेटवे ऑफ इंडिया (Gateway of India) तक खुले पानी में तैरते हुए 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड में पूरी की।

आईएनएस शिकरा में तैनात आर्म्स द्वितीय में मास्टर चीफ मदन राय की ग्यारह वर्षीय बेटी सुश्री जिया राय सबसे तेज तैराकी कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांग छात्रा बन गई है।

जिया राय ने 15 फरवरी, 2020 को खुले पानी में 14 किलोमीटर तैराकी कर विश्व रिकार्ड बनाया।

जिया को 23 फरवरी, 2020 को के. आर. कामा हॉल, मुंबई में भारतीय तैराकी परिसंघ के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट अभय दाघे ने प्रमाण पत्र और ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया।

एकल तैराकी का आयोजन भारतीय तैराकी परिसंघ के अधिकृत निकाय महाराष्ट्र तैराकी संघ की देखरेख में किया गया था।

जिया राय (Jiya Rai) की यह असाधारण उपलब्धि इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स, एशिया बुक और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने के लिए योग्य माना गया है।

जिया दुनिया की सबसे कम उम्र की पहली दिव्यांग लड़की है, जिसने 03 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड में खुले पानी में 14 किलोमीटर की तैराकी पूरी की।

जिया राय (Jiya Rai) को लगभग दो साल की उम्र में ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (Autism Spectrum Disorder) और डिलेइन स्पीच का पता चल गया था।

डॉक्टर की सलाह पर जल चिकित्सा के रुप में उसने तैराकी शुरु की जो बाद में उसका जुनून बन गया।

जिया राय (Jiya Rai) के माता-पिता ने इस जुनून का पोषण किया और विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए उसकी तैयारी में मदद की।

दिव्य अंगो वाली दिव्यांग अनुराधा बनी देश के लिए रोल मॉडल

जब कुछ कर गुजरने की चाह हो तो रास्ते में आया व्यवधान कोई मायने नहीं रखता, और जो लोग सोचते हैं कि शारीरिक अक्षमता के कारण अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते, उन लोगों के लिए राजस्थान के हनुमानगढ़ की अनुराधा ने आईना दिखाने का काम किया है। संगरिया तहसील के गांव नाथवाना की बेटी अनुराधा उन सभी के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनकर उभरी हैं, तो लोग शारीरिक रुप से कमजोर हैं और इस कारण खुद को कम आंकते हैं।

अनुराधा के शरीर का कोई भी हिस्सा सही तरह से काम नहीं करता, सिर्फ उसके दिमाग को छोड़कर, दिव्यांग अनुराधा ने इन संघर्ष और मुसीबतों को चुनौती बनाकर पढ़ाई का ऐसा लक्ष्य साधा कि 12 वीं में 85 प्रतिशत अंक हासिल कर गार्गी पुरस्कार पाया।

वोइस टू दिव्यांग

बोर्ड परीक्षाओं में अन्य छात्राओं के साथ अनुराधा को संगरिया में आयोजित समारोह में गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया गया । जब अनुराधा के पुरस्कार लेने की बारी आई तो सभी भौचक्के रह गए क्योंकि अनुराधा की मां उसे गोदी में उठा कर ला रही थी।

इस कार्यक्रम के दौरान अनुराधा ने बताया कि कक्षा 8 तक तो दिव्यांग होने की वजह से घर पर ही रह कर पढ़ाई की, हाथ-पांव, कमर सहित कोई भी हिस्सा काम नहीं करता था और खुद से किताब भी नहीं उठाई जाती थी। ऐसे में माता-पिता सहयोग करते थे। 9वीं कक्षा की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की और 10वीं 78.50 प्रतिशत अंक लाकर गार्गी पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद 12वीं में 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किए । स्कूल की अन्य छात्राओं ने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया वो दिव्यांग है। 9वीं से लेकर 12वीं तक पिता ही स्कूल लेने और छोड़ने जाते, लेकिन 2 मई 2020 को पिता की अचानक मौत हो गई । अब मां ही उसका ख्याल रखती है।

अनुराधा का सपना है कि वो आईएएस बनकर देश की सेवा करें । एक खास बात और अनुराधा का एक 13 साल का छोटा भाई भी है और वो भी दिव्यांग है।

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट
(N.G.O.)
संचालित
ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर
मानसिक दिव्यांग बच्चों के
लिए नि:शुल्क तालीमी संस्था
शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे
सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365